64 IV

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 377646

ट्रस्ट

मै सौरभ दुबे पुत्र श्री देवकीनन्दन दुबे निवासी– निकट कमला टाकीज खरगजीत नगर जिला मैनपुरी का हूँ। मै अत्यन्त धर्मनिष्ठ, सेवापरायण व समाज सेवी व्यक्ति हूँ। मेरा मानना है कि मानव जीवन दुर्लभ जीवन है और मानव जन्म समाज सेवा व पूर्वजो का नाम रोशन करने के लिए होता है। मानव के अलावा अन्य कोई जीव समाज सेवा नही कर सकता है। मै काफी सोच विचार कर तथा अपने शुभचिंतको की सलाह लेने के बाद रू– 5000/– (पाँच हजार रूपया) की प्रारम्भिक मूल पूँजी के साथ निम्नलिखित उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक ट्रस्ट **"संज्ञान ट्रस्ट"** की स्थापना करता हूँ।

Vikas Awasthi Saurabh Gaurav (संज्ञान ट्रस्ट)

प्रमोद कुमारी

(क्रमशः..............)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (1) X 377645

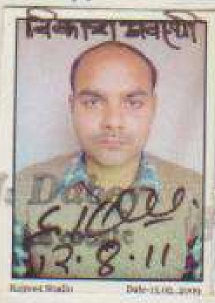

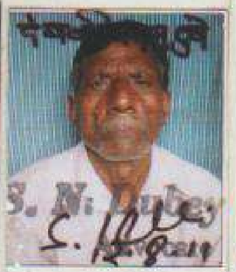
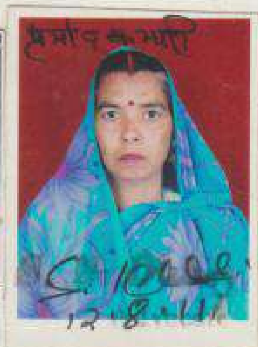

संज्ञान ट्रस्ट

1. ट्रस्ट का नाम	:	संज्ञान ट्रस्ट
2. ट्रस्ट का पता	:	निकट कमला टाकीज खरगजीत नगर मैनपुरी।
3. ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	:	समस्त भारत।
4. ट्रस्ट का उद्देश्य	:	1. समाज के पिछडे उपेक्षित / विकलांग अथवा अनुसूचित जाति / जन जाति के लोगो को सभी प्रकार की शिक्षा एंव उच्च शिक्षा का प्रसार करना, शिक्षा के लिए स्कूल, कॉलेज की स्थापना करना, जाति वर्ग का विचार किये बिना शिक्षा की विभिन्न शाखओ मे व्यापार एंव व्यवसाय के क्षेत्र मे बालक एंव बालिकाओ के लिए समय के अनुरूप शिक्षा की व्यवस्था करना।

Vikas Awasthi Saurabh Gaurav

प्रमोद कुमारी

(क्रमशः..............)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (3) X 377644

2. जनता मे शिक्षा की प्रगति एंव प्रसार द्वारा जनचेतना उत्पन्न करना जिससे सम्बन्धित क्षेत्र का शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास होगा।

3. शिक्षा द्वारा राष्ट्र की एकता, अखण्डता एंव सामाजिकता की भावना उत्पन्न करना।

4. उच्च कोटि के वाचनालय, पुस्तकालय, गौशाला, आदि की स्थापना तथा उसका संचालन करना।

5. इस प्रकार शिक्षा एवं चिकित्सा प्रसार के लिए संसाधनों की व्यवस्था करना और समय की आवश्यकता के अनुरुप अत्यधिक सार्वजनिक हित के लिए योगदान करना।

6. संस्था को चलाना, प्रसार करना, विकास करना, समय की आवश्यकताओं के अनुरुप शैक्षिक, व्यापारिक एवं व्यवसायिक संस्थायें शुरु करना।

7. समाज कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अन्य मंत्रालयों, शासकीय–अशासकीय विभागों, कपार्ट नवाई, शिक्षा विभाग, यूनीसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, देश विदेश की अन्य समाज सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना तथा उनका प्रचार प्रसार करना।

Vikas Awasthi Saurabh Gaurav

(क्रमशः..............)

प्रमोद कुमारी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

X 377643

8. गांधी विचार धारा के अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा संचालित खादी ग्रामोद्योग इकाईयों की स्थापना करना।

9. ऐसे सभी वैधानिक कार्यो को करना जो इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायक हों। अन्य सभी कार्य जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत हो।

5. बोर्ड ऑफ ट्रस्ट :

बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के सदस्यों के नाम, पिता का नाम व पता, पद व व्यवसाय जिनको कि संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सुचारु रुप से चलाने हेतु सौंपा गया है।

क्रमांक	नाम, पिता का नाम व पता	पद	व्यवसाय
1.	विकास अवस्थी पुत्र रामलडैते अवस्थी नि० कुसमरा, मैनपुरी	अध्यक्ष, आजीवन न्यासी	व्यापार / कृषि
2.	सौरभ दुवे पुत्र देवकीनंदन दुवे नि० खरगजीतनगर, मैनपुरी	सचिव, आजीवन न्यासी	व्यापार / कृषि
3.	गौरव दुवे पुत्र देवकीनंदन दुवे नि० खरगजीतनगर, मैनपुरी	उपाध्यक्ष, आजीवन न्यासी	व्यापार / कृषि
4.	देवकीनंदन दुवे पुत्र सी० बी० दुवे नि० खरगजीतनगर, मैनपुरी	कोषाध्यक्ष, आजीवन न्यासी	व्यापार / कृषि
5.	श्रीमती प्रमोद कुमारी दुवे पत्नी देवकीनंदन दुवे	सदस्य, आजीवन न्यासी	गृहणी

Vikas Awasthi Saurabh Gaurav

प्रमोद कुमारी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(5)

X 377642

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं हमने ट्रस्ट का गठन किया है तथा ट्रस्ट की सम्पत्ति 5000/– है। इसके अलावा और कोई किसी प्रकार की सम्पत्ति नहीं है।

नियमावली–'संज्ञान ट्रस्ट'

1. ट्रस्ट की सदस्यता : नियमावली के अनुसार

2. प्रबंधकारिणी : ट्रस्टी–निम्नलिखित पांच सदस्य ट्रस्टी कहे जाएंगें।

1.	विकास अवस्थी पुत्र रामलडैते अवस्थी	अध्यक्ष, आजीवन न्यासी	व्यापार/कृषि
2.	सौरभ दुवे पुत्र देवकीनंदन दुवे	सचिव, आजीवन न्यासी	व्यापार/कृषि
3.	गौरव दुवे पुत्र देवकीनंदन दुवे	उपाध्यक्ष, आजीवन न्यासी	व्यापार/कृषि
4.	देवकीनंदन दुवे पुत्र सी0 बी0 दुवे	कोषाध्यक्ष, आजीवन न्यासी	व्यापार/कृषि
5.	श्रीमती प्रमोद कुमारी दुवे पत्नी देवकीनंदन दुवे	सदस्य, आजीवन न्यासी	गृहणी

3. ट्रस्टी के रुप में सदस्यता से प्रथक्करण :

1. सक्षम न्यायालय द्वारा दुराचरण के लिए दण्डित किये जाने पर।
2. दिवालिया, पागल अथवा कोढ़ी हो जाने पर।
3. मृत्यु हो जाने पर।
4. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य अथवा हानि पहुँचाने पर।
5. अध्यक्ष अथवा सचिव के निर्देशों का पालन न करने पर।

Vikas Awasthi Saurabh Gaurav देवकीनंदन

प्रमोद कुमारी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (6) X 377641

4. (क) नये सदस्य की नियुक्ति :

1. मृत्यु अथवा मानसिक अस्वस्थता के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों सदस्य के पुत्री/परिवार का सदस्य (माता–पिता, सगे भाई या बहिन) के द्वारा भरी जाएंगी।

2. त्याग पत्र देने या हटाए जाने के मामले में रिक्त पद आजीवन सदस्यों द्वारा उचित व्यक्ति को चुनकर भरा जाएगा।

भाग 3 तथा 4 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ट्रस्टी बोर्ड की सभा बुलाई जाएगी और मुद्दा सचिव एवं अध्यक्ष के बहुमत के द्वारा निर्णीत किया जाएगा।

4. (ख) संस्था की सम्पत्ति :

यदि कारणवश ट्रस्ट द्वारा संचालित कोई भी संस्था समाप्त होती है। ऐसी दशा में संस्था की चल अचल सम्पत्ति ट्रस्ट में स्वतः निहत हो जाएगी।

4 (ग). संचालित संस्थानों की प्रबंध–समितियों के नामित सदस्य :

ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य संस्थान जो ट्रस्ट द्वारा संचालित होगें की प्रबंध समितियों का गठन ट्रस्ट सचिव/अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

5. ट्रस्ट के आजीवन सदस्य :

वे व्यक्ति जो दो वर्षों के अंदर 50000/– (पचास हजार) की राशि दान देंगें आजीवन सदस्य होंगें। ऐसे सदस्यों की संख्या 5 से अधिक नहीं होगी।

6. दानकर्ता सदस्य :

100 दानकर्ताओं में से जो 10000/– (दस हजार) की राशि ट्रस्ट निधि में जमा करेंगें, चुने जाएंगें।

7. कार्यालय प्रबंधन :

ट्रस्ट ऑफ बोर्ड के कार्यालय वाहक (1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष होगें। ये ट्रस्ट ऑफ बोर्ड की धरोहर कर्ताओं के द्वारा अपने में से ही तीन वर्ष की अवधि के लिए चुने जाएंगें। सचिव/अध्यक्ष बोर्ड की सभी बैठकों की कार्यवाहियों का सही व विश्वनीय

Vikas Awasthi Saurabh Gaurav

प्रमोद कुमारी

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये

रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

09AB 288487

अभिलेख रहेगा और उसके द्वारा प्रवेश या प्रवेश होने के कारण ट्रस्टी से सम्बंधित सभी धन की प्राप्ति व भुगतान का क्रमानुसार पूर्ण और सही हिसाब के लिए वही खाते रखे जाएगें।

8. बोर्ड ऑफ ट्रस्ट की बैठक :

1. सामान्यतः प्रबंधतंत्र की बैठक कम से कम छः महीने में एक बार ऐसी तिथियों में होगी जो प्रबंधक/सचिव द्वारा निर्धारित की गई हों या ऐसी अन्य तिथियों में होगी जो आवश्यक हों। फिर भी अध्यक्ष या सचिव जब भी आवश्यकता हो प्रबंधतंत्र की आपातकालीन बैठक बुला सकता है।

2. अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा एवं दोनों की अनुपस्थिति उपस्थित सदस्यगण अपने में से बैठक की अध्यक्षता के लिए व्यक्ति का चुनाव करेगें।

3. बोर्ड की सामान्य बैठक के लिए कम से कम पांच दिन का नोटिस दिया जाएगा और जहां तक संभव हो इस प्रकार दिए गए नोटिस में कार्यावली (एजेण्डा) सम्मिलित होगी जिसमें समिति के समक्ष सभी विषयों की पर्याप्त संक्षिप्त सम्मिलित होगी।

4. सामान्यतः आपातकालीन बैठकों के लिए यदि सभासदों की निर्दिष्ट संख्या पूरी नहीं है तो सभी सदस्यों को कम से कम एक दिन का नोटिस दिया जाएगा और बैठक एक निश्चित तिथि के लिए स्थगित कर दी जाएगी।

5. प्रबंध तंत्र के समक्ष आए मामले उपस्थित सदस्यों के बहुमत के अनुसार तय किए जाएगें और वोटों की संख्या बराबर होने पर बैठक का सभापति एक अतिरिक्त या निर्णायक मत रखेगा।

ट्रस्ट के कार्य व शक्तियों :

1. विद्यालय और इसकी संस्थाओं के कोष का प्रबंध करना।
2. ट्रस्ट के क्रियाकलापों को जारी रखने हेतु स्तोत्रों का प्रबंध करना और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित सभी या किसी स्त्रोतों से आरक्षित सम्पत्ति की स्थापना करना।

(क) चन्दा के द्वारा।

Vikas Awasthi
Saurabh
Gaurav
[illegible]
प्रमोद कुमारी

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

Rs.20

रु.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(8)

06AA 426195

(ख) दान, उपहार, सभी प्रकार की सम्पत्ति के अनुदान स्वीकार करके।

(ग) कर्ज लेकर।

(घ) कोई उद्योग शुरु करके वस्तुयें तैयार करके।

3. निम्नलिखित की प्राप्ति के लिए सभी उपाय, तरीके और कदम उठाना जो भी आवश्यक, उचित और उपयुक्त हो।

(क) ट्रस्ट के किसी उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक कोई उपाय या कार्य योजना का अनुपालन करना।

(ख) प्रति वर्ष उसी वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति समिति नियुक्त करना और ऐसी अन्य समितियों जो समय-समय पर आवश्यक समझी जाएं नियुक्त करना व इनका अध्यक्ष नियुक्त करना।

(ग) बोर्ड ऑफ ट्रस्ट में निहित सभी शक्तियों बोर्ड के अनुमोदन व नियंत्रण के अधीन अध्यक्ष द्वारा किया जा सकता है।

4. सचिव की शक्ति :

(क) बोर्ड ऑफ ट्रस्ट में निहित सभी शक्तियों का प्रयोग बोर्ड के अनुमोदन व नियंत्रण के अधीन सचिव द्वारा किया जा सकता है।

(ख) बोर्ड ऑफ ट्रस्ट के निहित कोई कार्य या समझौता पूरी करना या बोर्ड के नियम के अनुरुप हों।

(ग) ऐसे सभी मामलों में बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने या किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए नियुक्त करने के लिए सचिव होगा।

(घ) ट्रस्ट के पक्ष विपक्ष के सभी अभियोग सचिव के नाम या विरुद्व प्रबंध समिति के निमित्त, उसकी अधिकारिक क्षमता में लाएगा।

(ङ) सचिव अपने हस्ताक्षरों से प्रबंधतंत्र की ओर से चैक ले सकता है और चैक, बिल, कागजात पर हस्ताक्षर कर सकता है और रसीदें जारी कर सकता है और सभी प्रकार के धन को प्राप्त कर सकता है।

Vikas Awasthi Saurabh

Gaurav

प्रमोदकुमारी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

(9)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 06AA 426196

5. वित्तीय प्रबंध :

(क) ट्रस्ट को प्राप्त सभी धनराशि को निर्धारित बैंक में जमा की जाएगी और सचिव एवं अध्यक्ष दोनों में से किसी एक के हस्ताक्षरों से चैक द्वारा व्यय की जाएगी।

(ख) सभी चन्दा व अन्य आय या सम्पत्ति जो ट्रस्ट को दी गई हो या उसके द्वारा प्राप्त की गई हो। वह उसी उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होगी जिसके लिए वह प्रदान की गई थी।

6. संसोधन :

इन नियमों में कोई भी संसोधन बोर्ड ऑफ ट्रस्ट द्वारा इस उद्देश्य के लिए विशेष संचालित बैठक मे उपस्थित सदस्यों की दो तिहाई या वोट द्वारा पारित प्रस्ताव से किया जा सकता है।

संस्थापक ट्रस्ट के अलावा समस्त नियुक्त न्यासीकरण इस न्यास–पत्र को इस आशय से निष्पादित कर रहे हैं कि उन्हें न्यासी के रुप में अपनी नियुक्ति स्वीकार है। अस्तु खूब सोच समझकर यह न्यास–पत्र निष्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इसि तहरीर तारीख 12-8-2011 श्री एस॰ एन॰ दुबे॰ एड॰ कलक्ट्री मैनपुरी

Vikas Awasthi

तारीख तहरीर

आलेख

1- विकास अवस्थी पुत्र रामलडैते अवस्थी — Saurabh

2- सौरभ दुवे पुत्र देवकीनंदन दुवे — Gaurav

3- गौरव दुवे पुत्र देवकीनंदन दुवे — [signature]

4- देवकीनंदन दुवे पुत्र सी० बी० दुवे

5- श्रीमती प्रमोद कुमारी दुवे — प्रमोद कुमारी

साक्षी

1. श्री वंशराज सिंह पुत्र श्री सोने लाल रा॰ पुलिस लाइन थाना मैनपुरी — Vanshraj Singh

2. विनय दुवे॰ एड॰ कलक्ट्री मैनपुरी — [signature]

आज दिनांक **12/08/2011** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **39**

पृष्ठ सं. **333** से **350** पर क्रमांक **64**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप-निबन्धक,

मैनपुरी

12/8/2011